आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

उप निदेशक(पं0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–1/शा0/ /2014–1/69/2014 : लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2014

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपद को प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–13/2907/33–3–2014–100(15)/2013, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) व संशोधित शासनादेश संख्या–3136/33–3–2014–100(15)/2013, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद उन्नाव, गोरखपुर तथा श्रावस्ती के लिए प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखाशीर्षकवार/निकायवार/पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार कुल रू0–48,98,00,000/– (रूपया अड़तालिस करोड अटठान्वे लाख मात्र) की धनराशि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2014 व संशोधित शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2014 में इंगित निर्देशों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न प्रकार आवंटित की जाती है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(धनराशि रूपये में)

क0सं0	जनपद का नाम	लेखाशीर्षक	धनराशि
1	2	3	4
1	उन्नाव	2575021920300–35	39200000
2		2575021960300–35	31360000
3		2575021970300–35	15680000
4		2575021980300–35	109760000
		योग	**196000000**

(धनराशि रूपये में)

क0सं0	जनपद का नाम	लेखाशीर्षक	धनराशि
1	2	3	4
1	गोरखपुर	2575021920300–35	37100000
2		2575021960300–35	29680000
3		2575021970300–35	14840000
4		2575021980300–35	103880000
		योग	**185500000**

(धनराशि रूपये में)

क0सं0	जनपद का नाम	लेखाशीर्षक	धनराशि
1	2	3	4
1	श्रावस्ती	2575021920300–35	21660000
2		2575021960300–35	17328000
3		2575021970300–35	8664000
4		2575021980300–35	60648000
		योग	**108300000**
		महायोग	**489800000**

2— उक्त आवंटित धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई—बैंक अन्तरण प्रणाली प्रकिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

3— उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 अनुदान संख्या—14 आयोजनागत मद (पूँजीगत व्यय) के अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार तथा निकायवार विवरण में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर बी0एम0—4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0—4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5— यदि बी0एम0—4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

6 आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना इस लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—41, 43, 45 व 47 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 99 /1/2014 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 2 उ0प्र0 शासन।
3—प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4—संबंधित मडण्लायुक्त, उ0प्र0।
5—जिलाधिकारी, उन्नाव, गोरखपुर, तथा श्रावस्ती ।
6—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
7—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
8—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11—मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव, गोरखपुर, तथा श्रावस्ती ।
12—अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद उन्नाव, गोरखपुर, तथा श्रावस्ती।
13—मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, उन्नाव, गोरखपुर, तथा श्रावस्ती।
15—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।